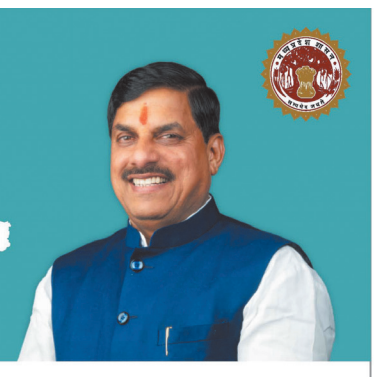


# हर थाली में पोषण, हर चेहरे पर मुस्कान समृद्ध मध्यप्रदेश की यही पहचान



## प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में हितग्राहियों को गैस रिफिल के लिये कुल ₹1518.67 करोड़ का अनुदान

राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं गैर प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में लाड़ली बहनों को माह जुलाई 2023 से निरंतर 450 रूपये में गैस रिफिल उपलब्ध कराई जा रही है। योजनांतर्गत माह जुलाई 2023 से मई 2026 तक हितग्राहियों को गैस रिफिल के लिये कुल 1518.67 करोड़ रूपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया है। लाडली बहनों को सस्ते दाम पर रसोई गैस प्राप्त होने पर उनके घर खर्च में बचत होने के साथ चूल्हे से खाना पकाने में होने वाले धुएं से बहनों एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव पर रोक लगी है। लकड़ी के उपयोग कम होने से वनों एवं पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। गैर प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति, बैगा, भारिया, सहरिया के गैस कनेक्शनधारी बहनों को भी लाभान्वित किया जा रहा है।




## प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5.39 करोड़ हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न आवंटित

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत दिसम्बर, 2023 से अभी तक 5.39 करोड़ से अधिक पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को निःशुल्क राशन का वितरण करने के लिए असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों की 29 वी प्राथमिकता श्रेणी सम्मिलित की गई। इसमें असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों के 7.82 लाख परिवारों के 27.80 लाख नवीन श्रमिकों को पात्रता पर्ची जारी कर निःशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत वितरित राशन सामग्री के परिवहन करने वाले 896 परिवहनकर्ताओं एवं 27,872 दुकानों के कमीशन देयकों का प्रतिमाह लगभग 40 करोड़ रूपये का भुगतान ऑनलाईन किया जा रहा है। यह व्यवस्था माह फरवरी, 2024 से लागू है। पूर्व में संचालित 269 पीडीएस के प्रदाय केन्द्रों की संस्था से बढ़ाकर 273 (42 नवीन) की गयी है। इससे सामग्री के प्रदाय के समय एवं राशि की बचत हुई है।



## छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने 'मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना' का किया अध्ययन

'मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना' के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी लेने और इसमें विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिये छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के अधिकारियों का एक दल मध्यप्रदेश भ्रमण आया। इस दल ने खाद्य संचालनालय में अधिकारियों से योजना की कार्य प्रणाली, परिवहन व्यवस्था, आईटी आधारित मॉनीटरिंग प्रणाली, संबंधित विभागों के बीच समन्वय, हित धारकों की भूमिका तथा खाद्यान वितरण व्यवस्था में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी ली।

## 89 अनु. जनजाति विकासखण्डों में 'मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम' योजना लागू

प्रदेश के 20 जिलों के 89 अनुसूचित जनजाति विकासखण्डों की उचित मूल्य दुकानों के आश्रित ग्रामों में राशन सामग्री का परिवहन कर ग्राम में ही वितरण की व्यवस्था के लिये 'मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम' योजना लागू की गई है। योजनांतर्गत 6575 आश्रित ग्रामों के लगभग 7 लाख 13 हजार परिवारों को ग्राम में ही राशन सामग्री का वितरण कराया जाएगा।

राशन सामग्री के परिवहन के लिये 472 सेक्टर बनाए गए हैं। इन सेक्टर्स के ग्रामों में चयनित अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 2 से 3 लाख रूपये प्रति हितग्राही मार्जिन मनी उपलब्ध कराई गई है। हितग्राहियों को 1 टन वाहन क्षमता के लिए 24 हजार रूपये एवं 2 टन वाहन क्षमता के लिए 31 हजार रूपये मासिक किराया भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार से योजनांतर्गत जनजाति क्षेत्र के पात्र परिवारों को ग्राम में ही राशन सामग्री प्राप्त होने से उनकी मजदूरी एवं श्रम की बचत हो रही है। साथ ही अनुसूचित जनजाति के युवकों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है।



## 100 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के विरुद्ध हुई 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी

**देश में सर्वाधिक 13 लाख 41 हजार से अधिक किसानों से हुआ गेहूं का उपार्जन**

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश में 100 लाख मीट्रिक टन निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 104 लाख 22 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ का उपार्जन हुआ है। मध्यप्रदेश को गेहूं खरीदी के लिये 78 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रयासों से केन्द्र सरकार द्वारा इस लक्ष्य को 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। मध्यप्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 13 लाख 41 हजार 266 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में नम्बर-1 है, वहीं गेहूं उपार्जन के मामले में पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। कोविड-19 की अवधि को छोड़कर विगत 10 वर्षों में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं का सर्वाधिक उपार्जन किया गया है। प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसानों से सबसे पहले गेहूं की खरीदी की गई। कुल 8 लाख 9 हजार 990 सीमांत एवं लघु कृषकों से 32 लाख 14 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन किया गया।



### किसानों को हुआ 23,708.13 करोड़ से अधिक का भुगतान

किसानों से 2585 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा 40 रूपये प्रति क्विंटल बोनस सहित 2625 रूपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का उपार्जन किया गया है।

**कोविड अवधि को छोड़कर विगत 10 वर्षों में सर्वाधिक हुआ गेहूं उपार्जन**

**सतत मॉनिटरिंग** प्रदेश में हो रहे गेहूँ उपार्जन की सतत मॉनीटरिंग की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वयं खरीदी केन्द्रों का औचक निरीक्षण कर तौल व्यवस्था, बारदाने की उपलब्धता और खरीदी केन्द्रों पर किसानों के लिये उपलब्ध जरूरी सुविधाओं का आकस्मिक निरीक्षण भी किया। साथ ही किसानों से संवाद कर उपार्जित गेहूँ के भुगतान आदि के बारे में जानकारी ली।



**संभागवार उपार्जन** रीवा संभाग में 6 लाख 15 हजार 851 मीट्रिक टन, जबलपुर में 12 लाख 73 हजार 667, शहडोल में 70 हजार 666, सागर में 8 लाख 56 हजार 968, भोपाल में 28 लाख 47 हजार 284, नर्मदापुरम में 9 लाख 22 हजार 508, उज्जैन में 22 लाख 84 हजार 47, इंदौर में 8 लाख 62 हजार 719, ग्वालियर में 4 लाख 36 हजार 805 और चंबल संभाग में 2 लाख 40 हजार 581 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हुआ है।

## नवाचार के तहत इंदौर में उपभोक्ताओं के लिये राशन भी पोषण भी उचित मूल्य दुकानों का उन्नयन कर बनाये गये 30 जन पोषण केन्द्र हुए शुरू

इंदौर जिले में उपभोक्ताओं के हित में और उचित मूल्य दुकानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए शासन-प्रशासन द्वारा नवाचार किया गया है। शासकीय उचित मूल्य दुकानों की सूरत और सीरत बदलने लगी है।

अब शासकीय उचित मूल्य दुकानों से उपभोक्ताओं को राशन के साथ ही गुणवत्तापूर्ण सांची के दुग्ध उत्पाद और अन्य पोषण सामग्रियाँ भी उचित मूल्य पर देने की व्यवस्था शुरू की गई हैं। उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी वस्तुएं दुकान के माध्यम से सहज तथा गुणवत्तायुक्त उपलब्ध रही हैं तथा उचित मूल्य दुकान आर्थिक रूप से सुदृढ एवं बहुउद्देशीय बन रही हैं। आयुक्त खाद्य द्वारा भारत सरकार के पायलट प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने तथा उपभोक्ताओं को पोषण संबंधित जरूरते इन केन्द्रों के माध्यम से पूरी हो सकें इसके लिए डीलर सकें खाद्य विभाग की टीम को सतत मार्गदर्शन देने के निर्देश दिये गए है।

सरकारी राशन की दुकानों को पोषण केंद्रों में बदलने की यह एक अभिनव पहल है। इसका उद्देश्य लोगों को पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ मुहैया कराना है। उपभोक्ता भंडार के विक्रेता द्वारा पोषण संबंधी सामग्री विशेष तौर पर उचित दर एवं क्वालिटी के साथ दिये जाने का प्रयास किया जाता है। उचित मूल्य की दुकानों पर जन पोषण केन्द्र शुरू हो जाने के बाद उपभोक्ताओं को सहुलियत हो रही है।




## फेस रिकग्निशन के माध्यम से होगा राशन वितरण

पात्र परिवारों को उचित मूल्य दुकानों से फेस रिकग्निशन के माध्यम से राशन वितरण की योजना है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन का वितरण नियमित रूप से किया जा रहा है। परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उचित मूल्य दुकानों पर जाकर पीओएस मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन कर राशन वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

वृद्ध/दिव्यांगजन के बायोमेट्रिक सत्यापन विफल होने पर ऐसे हितग्राहियों को उनके आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर OTP भेजकर राशन का वितरण किया जाता है। शारीरिक रूप से अक्षम हितग्राही जो उचित मूल्य दुकान पर जाकर राशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे लगभग 44 हजार 671 परिवार नामिनी के माध्यम से राशन लेने के लिये नामित किये गये हैं। पात्र परिवार द्वारा वन नेशन वन राशनकार्ड के तहत देश/प्रदेश की किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के 36 हजार 486 परिवारों द्वारा अन्य राज्यों में तथा अन्य राज्यों के 7,252 परिवारों द्वारा मध्यप्रदेश में प्रति माह राशन प्राप्त किया गया है। अंतर जिला पोर्टेबिलिटी के तहत 18 लाख 55 हजार 554 परिवारों द्वारा अन्य जिले/अन्य दुकान से राशन प्राप्त किया गया है। इस प्रकार उचित मूल्य दुकान से संलग्न पात्र परिवारों को अपनी दुकान से राशन लेने की बाध्यता न होकर अपनी पसंद एवं नजदीक की दुकान से राशन लेने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सभी पात्र परिवारों को सुविधाजनक तरीके से राशन वितरण किया जा रहा है।

# प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना : खाद्य सुरक्षा की ओर बढते कदम

### सेवा संकल्प अभियान - सेवा की कहानी

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक ऐसी अंत्योदय योजना है, जिसने प्रत्येक नागरिक के लिए खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाया है। यह योजना खाद्य सुरक्षा की ओर शासन की नैतिक जिम्मेदारी का सबसे बडा उदाहरण है, जिसमें सभी के लिए खाद्यान की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत श्योपुर जिले में 1 लाख 29 हजार 836 परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। जिले की 274 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से हर माह सरलता के साथ उपभोक्ताओं को खाद्यान का वितरण किया जा रहा है। यह एक ऐसी व्यवस्था है, जो खाद्य सुरक्षा को बढाती है और हर महीने जरूरतमंद उपभोक्ताओं की खाद्यान संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। खास बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत निशुल्क खाद्यान प्रदाय किया जा रहा है, अर्थात किसी भी उपभोक्ता से किसी भी प्रकार की कोई भी राशि नही ली जाती है। योजना को पीओएस मशीन के माध्यम से इतना पारदर्शी बनाया गया है कि संबंधित उपभोक्ता को ही खाद्यान मिलता है। बायोमैट्रिक पहचान के बाद खाद्यान वितरण की इस व्यवस्था से हजारों परिवारों की खाद्यान सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है।

**बुजुर्ग भरोसी बाई को मिलता है हर माह 35 किलो खाद्यान**

अंत्योदय योजना की हितग्राही बुजुर्ग महिला श्रीमती भरोसी बाई बैरवा श्योपुर जिले के ग्राम पाण्डोला की रहने वाली है। वे बताती हैं कि पिछले काफी वर्षो से योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हें इस योजना से प्रत्येक माह 30 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मिलते है, वह भी निःशुल्क, इस खाद्यान से उनके परिवार को बडा आर्थिक सहारा मिल रहा है। वे बताती है कि इस बार तो अगस्त में ही सितंबर का एडवांस खाद्यान दिया गया, जिससे बारिश में हमें किसी प्रकार की परेशानी न हों। उन्हें अगस्त माह में 60 किलो गेहूं और 10 किलो चावल मिले हैं, जो उनके परिवार के लिए दो माह के भोजन के लिए पर्याप्त है। इसके लिए वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति कृतज्ञता जताते हुए कहती है कि हम जैसे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आगे बढाने का कार्य किया जा रहा है, क्योकि भोजन की सुरक्षा तो सुनिश्चित हो गई और जो राशि हमें खाद्यान की व्यवस्था में खर्च करनी पडती, उस राशि की बचत हर माह हो रही है, जिससे हम जैसे परिवार धीरे-धीरे आर्थिक कमजोरी से उभर रहे है।



अनुसूचित जाति परिवार की श्रीमती रामकथा बैरवा भी अंत्योदय की हितग्राही है और उन्हें प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान मिलता है, जो उनके परिवार की खाद्यान आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। इस योजना में पात्रता के आधार पर खाद्यान उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। श्री बनवारी सुमन ऐसे ही हितग्राही है, जिन्हें पात्रता श्रेणी के आधार पर प्रत्येक सदस्य के मान से 5 किलो खाद्यान मिलता है, परिवार में तीन सदस्य है, इसलिए हर माह 15 किलो खाद्यान निशुल्क रूप से मिल रहा है। जिले में इस योजना के हितग्राही बडी संख्या में है और योजना अंत्योदय कल्याण का उदाहरण बन रही है।

**अंत्योदय का संकल्प साकार, घर-घर पहुँचे अन्न का उपहार**

D-19269/26